न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 30/2021

बउनवान

भंवरलाल आयु 51वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल, जाति–धाकड़ पेशा पूर्व उचित मूल्य दुकानदार द्वितीय ग्राम पंचायत बाहरी तहसील छबड़ा जिला बारां निवासी बाहरी तहसील छबड़ा जिला बारां, राज0 **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, अन्तर्गत धारा–22 (1) (A) राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 28.12.2022

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या 64/2017 बउनवान सरकार जर्ये प्रर्वतन निरीक्षक छबड़ा बनाम भंवरलाल में पारित आदेश दिनांक 12.09.2017 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 (1) (A) राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत इस आशय की पेश की है कि अपीलान्ट प्राधिकार पत्र सं. 416/2008 के पास माह दिसम्बर 2016 से मार्च 2017 तक ग्राम पंचायत कड़ैयावन की उचित मूल्य दुकान अटैच रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। निर्णय में अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी करना एवं जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.06.2017 को पेश करना बताया व जवाब को संतोषप्रद नहीं मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आधार बताया है परन्तु वास्तव में रेस्पो0 द्वारा दिनांक 27.06.2019 को प्रकरण संख्या 370/2019 में कारण बताओ नोटिस जारी कर तारीखपेशी 18.07.2019 नियत की जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। जिस पर अपीलान्ट हाजिर होता रहा, बाद में कोरोना काल शुरू हो गया तथा दिनांक 12.08.2021 को पता करने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण संख्या 64/2017 में दिनांक 12.09.2017 को निर्णय पारित कर लाईसेन्स निरस्त कर दिया गया है एवं अपीलान्ट को प्रकरण संख्या 370/2019 में सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 18.07.2019 तारीख पेशी व बाद में भी बुलाते रहे। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के विरूद्ध अभियोजन दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश दिनांक 22.03.2017 को दिया एवं निलम्बन का आदेश जारी कर दिया। जबकि निलम्बन के बाद अपीलान्ट द्वारा अटेचमेन्ट डीलर को दिनांक 31.03.2017 को एवं दिनांक 10.04.2017 [illegible] शेष स्टॉक सम्भलाया व पोस मशीन द्वारा किया वितरण व स्टॉक वितरण रजि[illegible] द्वारा किया गया वितरण के मिलान के बाद दिनांक 06.07.2017 को अपी[illegible] निरीक्षण करने पर पाये गये गेंहू 25 क्विं. अटेच उचित मू[illegible] निरीक्षक की उप[illegible] सुपुर्द कराया, स्टॉक व वितरण रजिस्टर प्रवर्तन निरीक्षक [illegible] दिये, प्रवर्तन निरीक्षक [illegible] पोस मशीन का वितरण मानकर ही अभियोग चलाया व वितरण रजिस्टर में दर्ज वितरण को नहीं माना इसलिये उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अनियमितता

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.05 17:36:39 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने एवं ऑफ लाईन से वितरण किये जाने के आधार पर कार्यवाही करना माना है जबकि जांच रिपोर्ट में प्रवर्तन निरीक्षक ने मशीन में खराबी होना तथा कड़ैयाबन की मशीन बाहरी में एवं बाहरी की मशीन कड़ैयाबन में प्रयोग करना अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा बताना बताया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय नहीं माना तथा मशीन की तकनीकी जांच भी नहीं करवाई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 64/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2017 को निरस्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करने का आदेश फरमावें।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट प्राधिकार पत्र माह दिसम्बर 2016 से मार्च 2017 तक ग्राम पंचायत कड़ैयावन की उचित मूल्य दुकान अटैच रही है। अधीनस्थ कार्यालय ने अपीलांट को दिनांक 18.07.2019 जवाब हेतु नियत कर नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण संख्या 64/2017 में दिनांक 12.09.2017 को निर्णय पारित कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर लाईसेन्स निरस्त कर दिया। अतः अधीनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 19.09.2017 निरस्त कर अपीलांट का लाईसेंस बहाल किया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित रहा तथा अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बिना सुनवाई किये निरस्त कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा दिनांक 31.03.2017 को अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.2017 नियत की गई। अपीलांट ने दिनांक 14.06.2017 को प्रकरण में जवाब भी पेश किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन असत्य है कि प्रकरण में उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

Signature Not Verified

अतः अपीलांट की अपील सारहीन [illegible] खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.05 17:36:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलेक्टर बारां (राज०)